स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 111, दिनांक 18–04–2024

दिनांक 17 व 18 फरवरी–2023 को हुई उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र आऊट कराने वाले गैंग के 02 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 18–04–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा–2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग के 02 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1. अजीत कुमार उर्फ अजीत चौहान पुत्र राजदेव चौहान नि0 दुहावर बिदोरी ,थाना नवडिया, जिला जौनपुर।
2. अजय कुमार चौहान पुत्र त्रिवेणी चौहान नि0 दुहावर बिदोरी, थाना नवडिया, जिला जौनपुर।

बरामदगीः

1. 02 अदद प्रश्न–पत्र उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा
2. 01 अदद प्रश्न–पत्र की उत्तर कुंजी
3. 03 अदद मोबाईल फोन
4. 02 अदद आधार कार्ड
5. 01 स्कार्पियो गाडी बिना नम्बर रंग काला

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

दिनांक 18–04–2024 स्थानः–. मोदीपुरम फ्लाई ओवर के पास, थाना पल्लवपुरम, जनपद मेरठ समयः 16.00 बजें

उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा–2023 का प्रश्न पत्र आउट होने/विभिन्न माध्यमों से वायरल होने की सूचनाओं/तथ्यो के आधार पर शासन द्वारा परीक्षा निरस्त कर सम्पूर्ण पेपर लीक प्रकरण की जांच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आवंटित की गयी।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा–2023 का पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए दिनांक 05–03–2024 को 06 सदस्यो 1. दीप उर्फ दीपक पुत्र दिनेश निवासी दोपहिया रोड पठानपुरा, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ 2. बिटटू पुत्र दयाराम निवासी ग्राम अलीपुर, थाना सरधना, जनपद मेरठ 3. प्रवीण पुत्र ओमपाल निवासी नंगला ताशी, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ 4. रोहित उर्फ ललित पुत्र बिनोद कुमार नि0 म0नं0 237 गोलाबढ, थाना टीपी नगर, मेरठ 5. नवीन कुमार पुत्र सलेखचन्द नि0 शोभापुर, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ 6. साहिल पुत्र अमरनाथ नि0 शोभापुर, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ को प्रश्न–पत्र व उत्तर कुंजी सहित थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

दिनांक 12–03–2024 को 01 सदस्य महेन्द्र पुत्र रामफल निवासी बराह खुर्द, थाना कोतवाली जींद, जनपद जींद हरियाणा को थाना कोतवाली जींद हरियाणा क्षेत्र से प्रश्न–पत्र व उत्तर कुंजी सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

दिनांक 14–03–2024 को पूर्ण घटना का अनावरण करते हुए एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा 1. अभिषेक कुमार शुक्ला पुत्र ब्रम्हदेव शुक्ला नि0 विक्रमपुर, थाना सराय ममरेज, जनपद प्रयागराज 2. शिवम गिरि पुत्र राम अचल गिरि नि0 ग्राम–रमगढवा गोनौरा, थाना जिगना, जनपद मिर्जापुर 3. रोहित कुमार पाण्डेय पुत्र विजयनाथ पाण्डेय, नि0 ग्राम खेमापुर, थाना कोईरोना, जनपद भदोई को थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद क्षेत्र से प्रश्न–पत्र सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 21–03–2024 को अभियुक्त सतीश धनकड़ को प्रश्न–पत्र व उत्तरकुंजी सहित एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

दिनांक 03–04–2024 को अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा को प्रश्न–पत्र सहित एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।

दिनांक 10–04–2024 को अभियुक्त रवि अत्री पुत्र गोरख सिंह नि0 ग्राम नीमका, थाना जेवर ,जनपद गौतमबुद्धनगर को प्रश्न–पत्र सहित एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर है।

उपरोक्त क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में उ0नि0 / सहविवेचक श्री अरूण कुमार निगम, उ0नि0 श्री दुर्वेश डबास मय हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह, हे0कां0 आकाशदीप के वांछित / ईनामी अपराधियों की पतारसी / सुरागरसी व गिरफ्तारी हेतु जनपद मेरठ मे रूडकी रोड पर मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा के माह फरवरी–24 में हुए प्रश्न–पत्र लीक के मामले में थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ पर दर्ज मुकदमें मे शामिल अपराधी अजीत चौहान निवासी जिला जौनपुर अपने साथी के साथ काले रंग की स्कार्पियो गाडी से दिल्ली की ओर से आ रहा है, जिनको मेरठ बाईपास होते हुए हरिद्वार की ओर जाना है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करते हुए टीम मय मुखबिर के मोदीपुरम फ्लाई ओवर पर पहुँची तो कुछ देर पश्चात दिल्ली की ओर से एक काले रंग की स्कार्पियों गाडी आती दिखाई दी, जिसको देखकर पहचान कर मुखबिर ने ईशारा कर बताया कि यही वह गाडी है, जिसमें अजीत चौहान अपने साथी के साथ मौजूद है। इस पर टीम द्वारा घेर कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण अजीत चौहान व अजय चौहान उपरोक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सेटिंग कर पेपर आउट कराने का कार्य किया है। इनका कोलकाता, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों की कई प्रिन्टिंग प्रेसो में सम्पर्क है तथा प्रेसों मे कार्यरत कर्मियों की सहायता से भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न–पत्र लीक कराते हैं। अभियुक्त अजीत चौहान द्वारा दूसरे नाम पते से एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा है, जिसमें इसका नाम आनन्द कुमार पुत्र लोटू नि0 तराव दानगंज, थाना चोलापुर, वाराणसी है, जिसको यह भर्ती परीक्षओं के पेपर आउट कराने के सम्बन्ध में आने जाने के लिए फ्लाईट, ट्रेन बुकिंग एंव ठहरने के लिए होटल आदि में बुकिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है।

अभियुक्त गण अजीत चौहान व अजय चौहान उपरोक्त से उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा–2023 के पेपर आउट कराने के सम्बन्ध मे की गयी पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

- अजीत चौहान व अजय चौहान ने मोनू शर्मा उर्फ मोनू पण्डित पुत्र महावीर नि0 अभयपुरा थाना नौझील जनपद मथुरा के साथ पार्टनशिप में बनारस मे बीएमएल सॉल्यूशन के नाम से कम्प्यूटर लैब चलायी थी।

- इसके अतिरिक्त मोनू शर्मा उर्फ मोनू पण्डित के साथ मिलकर हरियाणा में वर्ष 2021–22 में आयोजित वेटनरी की परीक्षा का पेपर भी आउट कराया था, जो बाद में निरस्त हो गयी थी।
- वर्ष 2018 में उ0प्र0 में आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी अजीत चौहान व अजय चौहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्लोसिंग स्क्वायर प्रा0लि0 प्रेस कम्पनी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से लीक कराया था, जिसके सम्बन्ध में थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी पर पंजीकृत मुकदमें मे दोनों जेल गये थे।
- वर्ष 2024 में बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई–3 शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी अजीत चौहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर आउट कराया था, जिसके सम्बन्ध में पटना बिहार में अभियोग दर्ज हैं।
- अजीत चौहान व अजय चौहान अपने साथी मोनू ढाकला, मोनू शर्मा उर्फ मोनू पण्डित, रोबिन एंव गौरव चौधरी के साथ मिलकर माह फरवरी–2024 में आयोजित उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा का आउट पेपर अभ्यर्थियों को नेचर वेली रिसोर्ट मानेसर हरियाणा मे ले जाकर पढवाया था।

अभियुक्तगण से अन्य घटनाओं और इनके गैंग द्वारा पेपर लीक व प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वालें अन्य गैंग के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही हैं।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों को थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि व 3/4/7/8/9 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधि0 में दाखिल किया गया है। विवेचना एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ अजीत चौहान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

क्र0स0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	172/19	406/409/420 भादव व एण्टी करप्शन एक्ट	चौलापुर	वाराणसी
2	06/24	420/467/468/471/120बी/34 भादवि व 3/10 परीक्षा अधि0 व आईटी एक्ट	आर्थिक अपराध शाखा	पटना, बिहार
3	166/2024	420, 467, 468, 471, 120बी भादवि व 3/4/7/8/9 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधि0	कंकरखेडा	मेरठ

अभियुक्त अजय चौहान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

क्र0स0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	172/19	406/409/420 भादवि व एण्टी करपशन एक्ट	चौलापुर	वाराणसी
2	166/2024	420, 467, 468, 471, 120बी भादवि व 3/4/7/8/9 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधि0	कंकरखेडा	मेरठ